

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/8288-यू/2024/366 दिनांक : 16/05/2024

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) के पत्र क्रमांक एफ. 35(28)चिस्वा/गुप-3/2017 दिनांक 16.11.2017 के अनुसरण में श्री पीयूष जोशी, कनिष्ठ सहायक, अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना के आधार पर दिनांक 18.07.2024 से 26.07.2024 तक 09 दिवस (सिंगापुर एवं फुकेत) विदेश जाने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/8288-यू/2024/366

दिनांक : 16/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।
2. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने करें।
3. श्री पीयूष जोशी, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

RajKaj Ref
6994543

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date :16-05-2024 10:20:17